



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेंट गाजियाबाद दिनांक 19.01.23

पुलिस टीम द्वारा थाना लोनी बोर्डर में वांछित अभियुक्त व 25000/- रुपये का इनामी

अभियुक्त गिरफ्तार ।

अभियुक्त रोबिन उर्फ सीटू द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलाकर दिनांक 21.09.2022 को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र में अपाचे बाईक से फोटो खिंचवाने के बहाने जाकर उसको बन्धक बनाकर एक निकोन कैमरा व 02 हजार रुपये लूट लिये थे, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना थाना लोनी बोर्डर द्वारा की जा रही थी, जिस पर थाना लोनी बोर्डर से अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कराया गया था । अभियुक्त के वांछित होने एवं इनाम की घोषणा होने पर थाना खोडा द्वारा भी इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं पतारसी सुरागरसी में दक्ष 6 पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी की टीम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी थी टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके गांव जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत, ननिहाल ग्राम निनाना जनपद बागपत, गंगा विहार लोनी बोर्डर, ससुराल लोनी जनपद गाजियाबाद आदि स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी तथा पतारसी सुरागरसी की जा रही थी , जिसके क्रम में इलैक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं व्यक्तिगत मुखबिरी के आधार पर अभियुक्त के दिनांक 18-19/01/2023 को थाना लोनी बोर्डर क्षेत्र में अपने रिस्तेदार के यहाँ आने की सूचना प्राप्त हुयी जिस पर टीम द्वारा घेराबन्दी कर वांछित इनामिया अभियुक्त रोबिन उर्फ सीटू जाट पुत्र ओमपाल निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 29 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर मौहल्ला गंगा विहार लोनी बोर्डर शिव विहार मेट्रो स्टेशन की साईड में गली में गिरफ्तार किया गया है । जो थाना लोनी बोर्डर से लूट के अपराध में 25000/- रुपये का इनामी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

रोबिन उर्फ सीटू जाट पुत्र ओमपाल निवासी जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत उम्र करीब 29 वर्ष ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. अभियुक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में लूट, डकैती, हत्या , हत्या का प्रयास, पुलिस मुठभेड, चोरी, आर्मस एक्ट के 15 अभियोग पंजीकृत हैं ।
2. अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली राज्य में लूट का अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना खोडा टीम द्वारा

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने की घटना में वांछित 02

अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 16.01.23 को श्री योगेन्द्र राणा पुत्र सरदार सिंह राणा निवासी नन्द नगरी मोदीनगर अपने दोस्त विशाल उर्फ चिंकू के साथ तिबडा रोड पर जिम के बाहर खड़े थे। तभी समय 4.30 बजे बाइक सवार 15-20 लडके आये, जिसमे शिवम पुत्र शिव कुमार व आर्यन पुत्र जगबीर निवासी गण ग्राम अमराला थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर आपसी पुरानी रंजिश होने के कारण अभियुक्त गण ने योगेन्द्र राणा को जान से मारने की नियत से योगेन्द्र राणा पर गोली चलाई, गोली योगेन्द्र राणा के कुल्हे में लगी। सभी अभियुक्तगण नवयुवक हैं। घटना के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

उरोक्त मुकदमे में विवेचना के दौरान 12 अभियुक्तगण प्रकाश में आये हैं। **जिसमे से 06 अभियुक्तगणों को पूर्व में दिनांक 18.01.203 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं** तथा आज दिनांक 19.01.23 को मुखबिर की सूचना पर भगवान गंज मण्डी मोदीनगर से वांछित अभियुक्तगण 1-शिवम पुत्र रणजीत निवासी भूपेन्द्रपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गा0 बाद 2-सुजल गौतम पुत्र सतपाल निवासी भूपेन्द्रपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गा0 बाद को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

- 1-शिवम पुत्र रणजीत निवासी भूपेन्द्रपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गा0 बाद
- 2-सुजल गौतम पुत्र सतपाल निवासी भूपेन्द्रपुरी गली न0 3 थाना मोदीनगर गा0 बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

पुलिस टीम थाना मोदीनगर।